2025:CGHC:55892

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दोषमुक्ति अपील क्रमांक 316/2019

सुशीला बाई उर्फ द्रौपदी कुर्रे, पति प्रदीप कुर्रे, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी– ग्राम सुंदरी (मटवारी सुंदरी), थाना– पलारी, जिला– बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़।

... अपीलार्थी

1–छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः जिला मजिस्ट्रेट, बलौदाबाजार–भाटापारा, जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा, छत्तीसगढ़।

2–प्रदीप कुर्रे, पिता मनी राम कुर्रे, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी– ग्राम कोदवा, थाना– पलारी, जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा, छत्तीसगढ़।

... प्रत्यर्थीगण

(वाद शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से : सुश्री अनन्या तिवारी, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की ओर से : श्री प्रतीक तिवारी, पैनल अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 2 की ओर से : श्री आदिल मिन्हाज, अधिवक्ता।

(माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी)

बोर्ड पर निर्णय

17–11–2025

1. वर्तमान दोषमुक्ति अपील, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(4) के अधीन, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा दाण्डिक अपील क्रमांक 69/2017 में दिनांक 29–09–2018 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। इस निर्णय के माध्यम से अपीलीय न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अधीन अपराध से दोषमुक्त कर दिया है जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलौदाबाजार द्वारा दाण्डिक अपील क्रमांक 1238/2014 में दिनांक 07–11–2017 के पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था

और 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1,00,000/– रुपये के अर्थदण्ड और अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में 2 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से दंडित किया गया था।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, अपीलार्थी/परिवादिनी ने प्रत्यर्थी क्रमांक 2/अभियुक्त और 4 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 के अधीन परिवाद दायर किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ यह कहा गया था कि, उसका विवाह वर्ष 1999 में रीति–रिवाजों के अनुसार प्रत्यर्थी क्रमांक 2/अभियुक्त के साथ संपन्न हुआ था। वर्ष 2002 में उन्हें एक पुत्री रत्न की प्राप्ति भी हुई, किंतु संतान के जन्म के बाद अभियुक्त ने उसे प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया और वर्ष 2005 में उन्हें घर से निकाल दिया। तत्पश्चात, अभियुक्त ने विवाह–विच्छेद की किसी भी वैध डिक्री के बिना, वर्ष 2010 में रुखमणी नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, अपीलार्थी/परिवादिनी ने परिवाद दायर किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा केवल प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया।

3. प्रत्यर्थी क्रमांक 2/अभियुक्त की उपस्थिति पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 के अधीन आरोप विरचित किए, जिसे उसने अस्वीकार किया और विचारण चाहा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. अभियुक्त के दोष को साबित करने हेतु, अपीलार्थी/परिवादिनी ने कुल 6 साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियुक्त का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने स्वीकार किया कि उसका विवाह अपीलार्थी के साथ रीति–रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था और वर्ष 2002 में उन्हें एक पुत्री रत्न की प्राप्ति भी हुई थी, परंतु उसने अपीलार्थी/परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों में अपने विरुद्ध प्रतीत अन्य समस्त अभियोगात्मक परिस्थितियों से इनकार किया। प्रत्यर्थी क्रमांक 2 ने यह भी कथन किया कि उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उसने अपने बचाव में 3 साक्षियों का परीक्षण कराया।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने उभय पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के विवेचन करने के पश्चात, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 को इस निर्णय के प्रथम कण्डिका में उल्लेखित अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया। इससे व्यथित होकर, अभियुक्त/प्रत्यर्थी क्रमांक 2 ने एक अपील प्रस्तुत की, जिसे आक्षेपित आदेश के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया और उसे दोषमुक्त कर दिया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित इस आदेश से व्यथित होकर, अब अपीलार्थी/परिवादिनी ने यह अपील प्रस्तुत की है।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि, अपीलार्थी/परिवादिनी और उसके साक्षियों ने यह साबित किया है कि उसका विवाह अभियुक्त के साथ उनके रीति–रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था और उन्हें एक पुत्री रत्न की प्राप्ति भी हुई थी, जिसे अभियुक्त ने भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में स्वीकार किया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि परिवादिनी के साक्षियों ने यह भी साबित किया है कि वर्ष 2010 में, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 ने रुखमणी नामक स्त्री से दूसरा विवाह

किया था और उसने प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के दो संतानों को जन्म भी दिया है। उपरोक्त तथ्य की पुष्टि बालिका कु. तोत्रुति कुर्रे के जन्म प्रमाण पत्र (वस्तु 'ए') से भी होती है, जिसमें माता और पिता के नाम क्रमशः रुखमणी कुर्रे और प्रदीप कुर्रे अंकित हैं। 'वस्तु बी' ग्राम पंचायत, गबौद के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र है जिसमें उन्होंने प्रमाणित किया है कि रुखमणी कुर्रे, प्रदीप कुर्रे की पत्नी है। उन्होंने आगे यह तर्क किया कि, उपरोक्त साक्ष्यों का अवलंब लेते हुए विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध किया था, किंतु बिना किसी ठोस कारण के, विद्वान अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय को उलटते हुए उसे दोषमुक्त किया। अतः, वह प्रार्थना करते हैं कि इस दोषमुक्ति अपील को स्वीकार किया जाए, आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाए और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय को बहाल किया जाए।

7. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी क्रमांक 2/अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि न तो अपीलार्थी/परिवादिनी और न ही उसके साक्षियों ने इस तथ्य को साबित किया है कि अभियुक्त ने रुखमणी से दूसरा विवाह किया है। यह साबित नहीं हुआ है कि कु. तोत्रुति कुर्रे का कथित जन्म प्रमाण पत्र (वस्तु 'ए') अभियुक्त द्वारा या उसकी सहमति से तैयार करवाया गया था, इसलिए विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एक तर्कसंगत निर्णय है, जिसमें इस न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. प्रत्यर्थी क्रमांक 1/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि राज्य ने आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है, अतः उचित आदेश पारित किया जाए।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के साथ–साथ विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के अभिलेखों का भी सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया है।

10. दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय को दी गई चुनौती पर विचार करने हेतु, भारतीय दंड संहिता की धारा 494 सुसंगत है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:

> “494. पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवनकाल में होता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
>
> अपवाद– इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं है, जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया हो,

और न किसी ऐसे व्यक्ति पर है, जो पूर्व पति या पत्नी के जीवनकाल में विवाह कर लेता है, यदि ऐसा पति या पत्नी उस पश्चात्वर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से सात वर्ष तक निरन्तर अनुपस्थित रहा हो, और उस काल के भीतर ऐसे व्यक्ति ने यह नहीं सुना हो कि वह जीवित है, परन्तु यह तब जब कि ऐसा पश्चात्वर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति उस विवाह के होने से पूर्व उस व्यक्ति को, जिसके साथ ऐसा विवाह होता है, तथ्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी, जहां तक कि उनका ज्ञान उसको हो, दे दे।"

11. भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के परिशीलन से इस धारा के अधीन अपराध के निम्नलिखित आवश्यक घटक प्रकट होते हैं:

(i) अभियुक्त पति या पत्नी ने प्रथम विवाह किया हो,

(ii) जब प्रथम विवाह अस्तित्व में हो, तब संबंधित पति या पत्नी ने दूसरा विवाह किया हो, और

(iii) दोनों विवाह इस अर्थ में विधिमान्य होने चाहिए कि पक्षकारों पर लागू होने वाली व्यक्तिगत विधि द्वारा आवश्यक अनिवार्य रस्में विधिवत संपन्न की गई हों।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. यहाँ यह उल्लेख करना सुसंगत है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अधीन अपराध केवल तभी माना जाएगा, जब दूसरा विवाह इस कारण से शून्य हो जाता है कि वह पहले विवाह के अस्तित्व में रहते हुए और जीवनसाथी के जीवित रहते हुए संपन्न किया गया है।

13. यहाँ हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (एतस्मिन पश्चात '1955 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 17 पर ध्यान देना भी उचित है, जो निम्नानुसार है:

"17. द्विविवाह के लिए दंड यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् दो हिन्दुओं के बीच अनुष्ठापित किसी विवाह की तारीख पर ऐसे विवाह के किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित था या थी तो ऐसा विवाह शून्य होगा और भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 494 और 495 के उपबन्ध उसे तदनुसार लागू होंगे।"

14. 1955 के अधिनियम की धारा 17 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि दूसरा विवाह विधि द्वारा आवश्यक रस्मों के अनुसार होना चाहिए और यदि विवाह शून्य है, तो उसका शून्यता केवल उस विवाह से उत्पन्न होने वाले परिणामों की ओर ले जाएगी। अधिनियम, 1955 की धारा 17 और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के संयुक्त प्रभाव पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **भाऊराव शंकर लोखंडे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य,** एआईआर 1965 एससी 1564 के प्रकरण में विचार किया गया है, और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

"4. .... धारा 17 यह प्रावधान करती है कि अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात दो हिंदुओं के बीच अनुष्ठापित कोई भी विवाह शून्य है, यदि ऐसे विवाह की तिथि पर किसी भी पक्ष का पति या पत्नी जीवित हो, और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे। धारा 17 के दृष्टिगत दो हिंदुओं के बीच विवाह तब शून्य होता है जब दो शर्तें पूरी होती हैं: (i) विवाह अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात अनुष्ठापित हुआ हो; (ii) ऐसे विवाह की तिथि पर, किसी भी पक्ष का जीवनसाथी जीवित हो। यदि फरवरी 1962 में अपीलार्थी और कमलाबाई के बीच हुए विवाह को "अनुष्ठापित" नहीं कहा जा सकता, तो वह विवाह अधिनियम की धारा 17 के आधार पर शून्य नहीं होगा और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 विवाह के उन पक्षकारों पर लागू नहीं होगी जिनका जीवनसाथी जीवित था। 'शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी' के अनुसार, विवाह के संदर्भ में "अनुष्ठापित" शब्द का अर्थ है, "विवाह को विधिपूर्वक उचित रस्मों एवं निर्धारित विधि के अनुसार संपन्न करना"। इसलिए, यह निष्कर्ष निकलता है कि जब तक विवाह "उचित रस्मों एवं निर्धारित विधि के अनुसार संपन्न" न किया गया हो, तब तक उसे "अनुष्ठापित" नहीं कहा जा सकता। अतः, अधिनियम की धारा 17 के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है कि वह विवाह, जिस पर अधिनियम के प्रावधानों के कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 लागू होती है, उचित रस्मों और निर्धारित विधि के अनुसार संपन्न किया जाना चाहिए। केवल इस आशय से कुछ रस्मों को पूर्ण कर लेना कि पक्षकारों को विवाहित मान लिया जाए, उन्हें विधि द्वारा निर्धारित या किसी स्थापित प्रथा द्वारा अनुमोदित रस्में नहीं बना देगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. **श्रीमती प्रिया बाला घोष विरुद्ध सुरेश चंद्र घोष,** (1971) 1 एससीसी 864 : (एआईआर 1971 एससी 1153) के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण ने स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया कि यह अनिवार्य है कि दूसरा विवाह विधिपूर्वक उचित रस्मों एवं निर्धारित विधि के अनुसार संपन्न किया जाना चाहिए। अभियोजन को यह साबित करना होगा कि कथित दूसरा विवाह उन धार्मिक रीति–रिवाजों के अनुसार विधिवत संपन्न किया गया है, जो उन पक्षकारों द्वारा अपनाए गए विवाह के स्वरूप के लिए उपलब्ध हैं। विधि की दृष्टि में अभियुक्त की स्वीकारोक्ति को दूसरा विवाह संपन्न होने के साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

"**16**. उपरोक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि यदि कथित दूसरा विवाह पक्षकारों पर लागू होने वाले विधि के अनुसार वैध नहीं है, तो वह विवाह करने वाले व्यक्ति के पति या पत्नी के जीवित रहते हुए संपन्न होने के कारण इस तरह से शून्य नहीं होगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494

आकृष्ट हो। पुनः, यह मानने के लिए कि दूसरा विवाह अनुष्ठापित किया गया है ताकि अधिनियम की धारा 17 आकृष्ट हो सके, यह अनिवार्य है कि दूसरा विवाह विवाह विधिपूर्वक उचित रस्मों एवं निर्धारित विधि के अनुसार के साथ विधिवत् संपन्न किया गया हो।

17. उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने आगे इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या यह स्थापित हो चुका है कि कथित दूसरे विवाह के संबंध में एक विधिमान्य विवाह के लिए आवश्यक रस्में संपन्न की गई थीं। 'मुल्लाज़ हिंदू लॉ', 12 वें संस्करण के पृष्ठ 615 पर दिए गए अंश का संदर्भ देते हुए, जो एक विधिमान्य विवाह के लिए संपन्न की जाने वाली अनिवार्य रस्मों से संबंधित है, इस न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन न तो यह स्थापित कर पाया था कि अनिवार्य रस्में संपन्न की गई थीं, और न ही यह कि उस समुदाय की प्रथा द्वारा अनिवार्य रस्मों के निष्पादन को समाप्त कर दिया गया था। इस दृष्टिकोण के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि उस प्रकरण में अभियोजन यह स्थापित करने में असफल रहा था कि कथित दूसरा विवाह अधिनियम की धारा 7 की आवश्यकता के अनुसार संपन्न किया गया था। हमारी राय में, इस निर्णय का प्रभाव यह है कि अभियोजन को यह साबित करना होगा कि कथित दूसरा विवाह उन अनिवार्य धार्मिक रीति–रिवाजों के अनुसार विधिवत संपन्न किया गया था, जो पक्षकारों द्वारा अपनाए गए विवाह के स्वरूप पर लागू होते हैं, और यह कि उक्त विवाह पक्षकारों पर लागू होने वाले विधि के अनुसार एक विधिमान्य विवाह होना चाहिए।

"**23.** इसके अतिरिक्त, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कंवल राम के प्रकरण (एआईआर 1966 एससी 614) में इंगित किया गया है, प्रदर्श–2 में दी गई स्वीकारोक्ति को विधि में जारता या द्विविवाह के प्रकरण में दूसरा विवाह संपन्न होने के साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है; और ऐसे प्रकरणों में अभियोजन को यह साबित करना होगा कि अनिवार्य रस्मों के होने के बाद वास्तव में दूसरा विवाह संपन्न हुआ है।"

16. तत्पश्चात, उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण ने **भाऊराव शंकर** (पूर्वोक्त), **कंवल राम** (पूर्वोक्त) और **श्रीमती प्रिया बाला** (पूर्वोक्त) के प्रकरणों में पारित निर्णयों का अनुसरण करते हुए, **गोपाल लाल विरुद्ध राजस्थान राज्य,** (1979) 2 एससीसी 170 : (एआईआर 1979 एससी 713) में स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि जहाँ एक पति या पत्नी पहले विवाह के अस्तित्व में रहते हुए दूसरा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवाह करते हैं, तो उन्हें भारतीय दण्ड संहिता के धारा 494 अधीन द्विविवाह का दोषी तब माना जाएगा जब यह साबित हो जाए कि विधि या प्रथा द्वारा अपेक्षित आवश्यक विवाह–संस्कार वास्तव में संपन्न किए गए हो। **लक्ष्मी देवी (श्रीमती) विरुद्ध सत्य नारायण,** (1994) 5 एससीसी 545 : (1994 एआईआर एससीडब्लू 3408) के प्रकरण में भी, माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण ने यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसे रस्मों के प्रमाण के अभाव में, दूसरे विवाह के तथ्य को साबित नहीं माना जा सकता है।

17. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णयों में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अधीन द्विविवाह के अपराध को साबित करने के लिए, अभियोजन को दूसरे विवाह के तथ्य को सख्ती से साबित करना आवश्यक है। जब तक अभियोजन विधि की आवश्यकतानुसार दूसरे विवाह के तथ्य को साबित करने में सक्षम नहीं होता, तब तक अभियुक्त को, उपरोक्त प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित आधिकारिक निर्णयों के आलोक में, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 के अधीन अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लौटते हुए, परिवादिनी और उसके साक्षियों, यथा सुशीला उर्फ द्रौपदी (अ.सा. 1), सिनोद कुमार कोसले (अ.सा. 2), मोतीराम मांडले (अ.सा. 3)– जो परिवादिनी के पिता हैं, और भागवत मांडले (अ.सा. 4) के अभिसाक्ष्यों के परिशीलन से, तथा प्रत्यर्थी क्रमांक 2/अभयुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में की गई स्वीकारोक्ति से यह पाया जाता है कि अपीलार्थी/परिवादिनी, अभियुक्त की विधिक रूप से विवाहित पत्नी है, उनका विवाह वर्ष 1999 में रीति–रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था और वर्ष 2002 में उन्हें एक पुत्री रत्न की प्राप्ति भी हुई थी।

19. प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के दूसरे विवाह के संबंध में, परिवादिनी श्रीमती सुशीला उर्फ द्रौपदी (अ.सा. 1) ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 ने ग्राम कोदवा, थाना पलारी की रुखमणी के साथ दूसरा विवाह किया है। इसी तरह का तथ्य सिनोद कुमार कोसले (अ.सा. 2) और भागवत मांडले (अ.सा. 4) द्वारा भी कथन किया गया है, किंतु उनमें से किसी ने भी अपने अभिसाक्ष्य में यह नहीं बताया कि अभियुक्त द्वारा रुखमणी के साथ कथित दूसरा विवाह किस रीति से संपन्न किया गया था। इस संबंध में, सरपंच, ग्राम पंचायत गबौद, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र (वस्तु 'बी') प्रस्तुत किया गया है, परंतु सरपंच को ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, अतः विधि की दृष्टि में उक्त प्रमाण पत्र का कोई विधिक मूल्य नहीं है। हालांकि जन्म प्रमाण पत्र वस्तु 'ए' में कु. तोत्रुति कुर्रे की माता का नाम रुखमणी और पिता का नाम प्रदीप कुमार कुर्रे उल्लेखित है और उस जन्म प्रमाण पत्र के जारी होने की पुष्टि ग्राम पंचायत गबौद की सचिव सरिता वर्मा द्वारा की गई है, लेकिन प्रतिपरीक्षण में,उसने अनभिज्ञता जताई है कि कु. तोत्रुति कुर्रे का जन्म अभियुक्त और

रुखमणी के दूसरे विवाह के पश्चात हुआ था। उसने बचाव पक्ष के अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वस्तु 'ए' में यह उल्लेख नहीं है कि यह किसके निर्देश पर तैयार किया गया था।

20. इस प्रकार अभियोजन के साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के परिशीलन से यह पाया जाता है कि अभियोजन साक्षियों ने इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा है कि क्या प्रत्यर्थी क्रमांक 2 द्वारा अपनी जाति/समुदाय में प्रचलित प्रथाओं के अनुसार आवश्यक रस्मों को पूर्ण करके दूसरा विवाह अनुष्ठापित किया गया है। अभियोजन के लिए यह भी आवश्यक था कि वह अभिलेख पर विधिक साक्ष्य लाए कि उनके समुदाय में विवाह की आवश्यक रस्में क्या हैं। किंतु, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 की जाति/समुदाय में प्रचलित कथित आवश्यक रस्मों का ऐसा कोई साक्ष्य, और न ही उन रस्मों को पूरा करते हुए वास्तव में दूसरा विवाह संपन्न करने का कोई साक्ष्य अभिलेख पर लाया गया। इसलिए, अभिलेख पर ऐसा कोई विधिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 2 ने कभी रुखमणी के साथ प्रथागत रीति–रिवाजों के अनुसार दूसरा विवाह किया हो,जो कि अधिनियम,1955 की धारा 17 को आकृष्ट करे,जिसका अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 के अधीन दंडनीय हो। अतः, यह साबित नहीं माना जा सकता कि प्रत्यर्थी क्रमांक 2/अभियुक्त ने रुखमणी के साथ दूसरा विवाह किया है। उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में, मुझे इस दोषमुक्ति अपील में कोई सार प्रतीत नहीं होता है। यह खारिज किए जाने योग्य है एवं एतद्द्वारा **खारिज** की जाती है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

21. इस निर्णय की एक सत्यापित प्रति मूल अभिलेख के साथ संबंधित विचारण न्यायालय को अविलंब प्रेषित की जाए।

सही/–

(नरेश कुमार चंद्रवंशी)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**